

प्रपत्र संख्या 3

Subject to valid registration/
valid renewal order
Society registration Act. 1860



नोट: रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए अधिनियम अधिनियम की धारा-52 की उपधारा (5) के अधीन स्थानाधिकारित विधिमान्यता अधिनियम के कम से कम 60 दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र संख्या-4 पर आवेदन किया जाना अनिवार्य है।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश

(उत्तर प्रदेश निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2006 के अधीन स्वीकृत)

प्रमाण-पत्र संख्या : 5159/2018-19

दिनांक : 30-03-2019

प्रमाणित किया जाता है कि नौरडा डीफ सोसायटी (संस्था का नाम), जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, कम्पनी अधिनियम, 1950 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 658/2005-06 दिनांक 22-10-2005 द्वारा रजिस्ट्रीकृत है या एक रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास है या भारतीय रेडक्रास सोसाइटी की एक शाखा है, जो इस नियमावली में यथा उल्लिखित रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाओं को पूरा करती है। एतद्वारा अधोहस्ताक्षरी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 49 द्वारा और इस नियमावली द्वारा भी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त संस्था को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर रहा है। यह प्रमाण-पत्र दिनांक 29-03-2024 तक विधिमान्य रहेगा।

- संस्था के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा नाम व पता नौरडा डीफ सोसायटी
469, सेक्टर-29 नौरडा, गौतमबुद्धनगर
- संस्था की शाखायें/इकाइयों का पूरा नाम व पता उपरोक्त
- संस्था के सचिव/प्रबन्धक का पूरा नाम व पता श्रीमती रुमाराका, सचिव
नौरडा डीफ सोसायटी सी-4 सेक्टर-30 नौरडा, उब्र

यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 30 माह 03 सन् 2019 को हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

Prepared by

.....

सक्षम प्राधिकारी/संयुक्त निदेशक
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश

